राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 8(4)वित्त/कर/2025 जयपुर, दिनांकः 02 JUL 2025

आदेश

श्री विद्यासागर शर्मा, स.वा.क.अ. के विरूद्ध शपथ–पत्र पर प्राप्त शिकायतों की प्रारम्भिक जांच, जांच अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त (ए.ए.आर.) वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्ट्या श्री विद्यासागर शर्मा, स.वा.क.अ. की अपने पदस्थापन स्थान पर राजकीय कार्यों में घोर लापरवाही पायी गयी। उनके द्वारा प्रासंगिक प्रकरण में गम्भीरता नहीं बरती गयी, जिस कारण राज्य में व्यवसाय करने वालों को परेशानी भी हुई एवं विभाग की छवि भी धूमिल हुई।

अतः इस प्रकरण एवं अन्य मामलों में श्री विद्यासागर शर्मा, स.वा.क.अ. की भूमिका की विस्तृत जांच करना अतिआवश्यक है। साथ ही पदस्थापन स्थान पर श्री विद्यासागर शर्मा, स.वा.क.अ. जांच को प्रभावित नहीं कर सके, इसलिए इन्हें राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

श्री विद्यासागर शर्मा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–III मुख्यालय डीग, वृत–ए, भरतपुर का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग, संभाग–प्रथम, जोधपुर में रहेगा।

श्री विद्यासागर शर्मा को निलम्बन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होगें।

आज्ञा से,

(नथमल डिडेल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश की पुष्टि किये जाने का श्रम करावें।
6. उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग, संभाग–प्रथम, जोधपुर को निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री विद्यासागर शर्मा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–III, मुख्यालय डीग, वृत–ए, भरतपुर को सुपुर्द करवाकर प्राप्ति रसीद 7 दिवस में इस विभाग को भिजवाये जाने का श्रम करावें। श्री विद्यासागर शर्मा को निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें एवं इसके अतिरिक्त उन्हे यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं छोड़े।
7. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. श्री विद्यासागर शर्मा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–III, मुख्यालय डीग, वृत–ए, भरतपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोडे।
9. कार्मिक (क–1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग।
10. कोषाधिकारी, भरतपुर/जोधपुर।

संयुक्त शासन सचिव